



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127401

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5957 वर्ष 2026

मुकेश

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राहुल कुमार त्रिपाठी, ऋचा त्रिपाठी
प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित की गई।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और राज्य के अधिवक्ता श्री राम प्रकाश शुक्ला उपस्थित हैं; उनकी बातें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखे गए।
3. अपीलकर्ता **मुकेश** ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(1) के तहत यह अपील दायर की है। इसमें गाज़ियाबाद की एससी/एसटी अधिनियम की विशेष न्यायालय में चल रहे मुकदमा संख्या 68/2017 (चंदू बनाम कृष्णपाल और अन्य) में पारित 11.03.2026 के आदेशों और 13.09.2024 व 19.05.2026 के गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की गई है। यह केस, मुकदमा अपराध संख्या 433/2013 (थाना मसूरी, जिला गाज़ियाबाद) से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323, 325, 504, 506 और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)5ए के तहत आरोप हैं। साथ ही, इस अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त केस के आदेशों पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

4. अपीलकर्ता को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट/अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाज़ियाबाद के 20.02.2024 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323, 325, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 का (पुलिस स्टेशन मसूरी, जिला गाज़ियाबाद) के तहत अपराधों के लिए विचारण का सामना करने के लिए समन भेजा गया था। उसके पेश न होने पर उसके खिलाफ 5,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया था। अपीलकर्ता और चार अन्य लोगों ने इस न्यायालय के सामने 20.02.2024 के समनिंग ऑर्डर और उस मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपराधिक अपील संख्या 4246/2024 (कृष्ण पाल और 4 अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) दायर की थी, जिसे इस न्यायालय की एक को-ऑर्डिनेट बेंच ने 16.05.2024 के आदेश से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। वह आदेश इस प्रकार है:

“अपीलकर्ताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह अपील दायर की है। इसका उद्देश्य 20.02.2024 के समनिंग ऑर्डर (बुलाने के आदेश) और केस संख्या 68/2017 की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना है। यह केस, मुकदमा अपराध संख्या 433/2013 (चंदू बनाम कृष्णपाल और अन्य) से निकला है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323, 325, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) 10 के तहत दर्ज किया गया था। यह मामला थाना मसूरी, जिला गाज़ियाबाद से संबंधित है और वर्तमान में विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट), जिला गाज़ियाबाद में लंबित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2, यानी चंदू ने अपीलकर्ताओं को एफ.आई.आर. संख्या 433/2013 (धारा 147, 148, 323, 325, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट के तहत) में झूठा फंसाया था। जांच पूरी होने के बाद कोई भी दोषी साबित करने वाला सबूत नहीं मिला और आरोपियों को बरी करते हुए 26.12.2015 को फाइनल रिपोर्ट संख्या 07/2015 दाखिल की गई। लेकिन इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) दाखिल की, जिसे शिकायत मामले के तौर पर माना गया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता और चार अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए और समन जारी करने से पहले के सबूतों पर विचार करते हुए, गाजियाबाद की स्पेशल न्यायालय ने 20.02.2024 के आदेश के जरिए आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की। अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जैसा आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुई थी। उनके अनुसार, दोनों पक्षों के बीच खसरा संख्या 325 मिन. को लेकर ज़मीन का विवाद चल रहा है और इस संबंध में अचल सिंह (अपीलकर्ता संख्या 2) ने एक आवेदन दिया था; इसलिए, अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। वे अनुरोध करते हैं कि समन जारी करने के आदेश को रद्द किया जाए और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 (चंदू) द्वारा दाखिल शिकायत को खारिज किया जाए।

सुनवाई के दौरान, अपील करने वालों के अधिवक्ता ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि शिकायतकर्ता का पक्ष घायल व्यक्ति गंगा शरण की 16.08.2012 की चोट की रिपोर्ट से साबित होता है; उन्हें तीन चोटें आई थीं, जिनमें एक फ्रैक्चर भी शामिल था। इसके अलावा, पीडब्ल्यू-4 डॉ. के.के. मित्तल भी शिकायतकर्ता के गवाह के तौर पर पेश हुए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपील करने वालों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने और उन पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय को अपील में कोई दम नहीं लगा, क्योंकि शिकायतकर्ता-पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। शिकायतकर्ता को लगी चोटों की पुष्टि मेडिकल सबूतों (जिसमें डॉक्टर का बयान भी शामिल है) से अच्छी तरह होती है। कानूनी कार्रवाई शुरू करने के चरण में, विचारण न्यायालय को बस इस बात से संतुष्ट होना होता है कि समन जारी करने से पहले के सबूत शुरुआती तौर पर कथित अपराधों के होने का संकेत देते हैं। विवादित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अपील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की थी और उक्त आदेश में कोई गैर-कानूनी बात या कमी नहीं है; इसलिए, अपील संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

नतीजतन, मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, इस अपील को तत्काल खारिज किया जाता है।”

5. इसके बावजूद, अपील करने वाला व्यक्ति संबंधित विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ, बल्कि उसने 23.10.2024 को विचारण न्यायालय में एक अर्जी (पेपर संख्या 23-खा) दाखिल की। इसमें उसने कहा कि वह राम सिंह का बेटा मुकेश है, जबकि समन राजवीर के बेटे मुकेश को भेजा गया है; इसलिए उसके खिलाफ जारी की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए और राजवीर के बेटे मुकेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। विचारण न्यायालय ने इस अर्जी पर आपत्तियां मांगीं। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ। इस बीच, जारी किए गए जमानती वारंट पर 29.10.2024 के आदेश के ज़रिए 11.03.2026 तक रोक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगा दी गई। उस तारीख को उसकी अर्जी का निस्तारण कर दिया गया और फिर 21.04.2026 के आदेश के ज़रिए दोबारा जमानती वारंट जारी किए गए।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता को सिर्फ़ इसलिए समन भेजा जा रहा है क्योंकि वह राजवीर उर्फ़ राम सिंह का बेटा है, जबकि इस मामले में असली आरोपी राजवीर का बेटा मुकेश है। इसलिए, यह निवेदन है कि मौजूदा कार्यवाही को रद्द किया जाए और इस अपील को मंजूरी दी जाए।

7. राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि शुरू में अपीलकर्ता और चार अन्य लोगों ने इस न्यायालय में अपराधिक अपील संख्या 4246/2024 (कृष्ण पाल और 4 अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) के तहत 20.02.2024 के समनिंग ऑर्डर और उस मामले की पूरी अपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। यह अपील 16.05.2024 के आदेश से तुरंत खारिज कर दी गई थी और अब एक नए आधार पर फिर से चुनौती दी जा रही है, जो पहले भी उपलब्ध था। उनका कहना है कि ऐसा करना मंजूर नहीं है क्योंकि किसी पक्ष को एक बार में एक आधार लेकर कार्यवाही को चुनौती देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके लिए **भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023 आईएनएससी 955)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि यह आधार शुरू में अपीलकर्ता के पास मौजूद था, लेकिन समनिंग ऑर्डर और पूरी कार्यवाही को चुनौती देने के चरण में यह बात इस न्यायालय के सामने नहीं रखी गई थी; अब इसे एक नए आधार के तौर पर पेश किया जा रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता को 20.02.2024 को समन जारी किया गया था और तब से दो साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन वह विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं हो रहा है, जबकि उसके खिलाफ़ जमानती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वारंट, गैर-जमानती वारंट और फिर दोबारा जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। यह भी कहा गया है कि मौजूदा अपील साफ़ तौर पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि अभी जो विवाद उठाया गया है, वह इस बात को लेकर है कि अपीलकर्ता इस मामले में शामिल नहीं है। अपीलकर्ता का कहना है कि वह राजवीर उर्फ़ राम सिंह का बेटा मुकेश है, जबकि इस मामले में असली आरोपी राजवीर का बेटा मुकेश है। इस बात का फैसला यह न्यायालय इस अपील में नहीं कर सकता। अगर यह मुद्दा उठाया जाता है, तो विचारण न्यायालय सही समय पर इस पर फैसला करेगा। इसके अलावा, इस बारे में एक अर्ज़ी (पेपर संख्या 23-खा) दायर की गई थी, जिसे विचारण न्यायालय ने 11.03.2026 के आदेश से खारिज कर दिया था, और इस तरह यह मुद्दा तय हो चुका है। वैसे भी, अपीलकर्ता और चार अन्य लोगों ने 20.02.2024 के समनिंग ऑर्डर और इस मामले की पूरी कार्यवाही को इस न्यायालय में अपराधिक अपील संख्या 4246/2024 (कृष्ण पाल और 4 अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) में चुनौती दी थी, जिसे 16.05.2024 के आदेश से तुरंत खारिज कर दिया गया था; और अब यह नया आधार उठाया गया है और मौजूदा अपील में इस पर बहस की जा रही है, जिसमें पहले बताई गई मांगें शामिल हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि यह आधार अपीलकर्ता के पास पहले भी उपलब्ध था, जब उसने इस न्यायालय में सह-आरोपियों के साथ अपील दायर की थी। इस बारे में कानून बिल्कुल साफ़ है। **भीष्म लाल वर्मा (उपरोक्त) और एम.सी. रविकुमार बनाम डी.एस. वेलमुरुगम (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 12715, वर्ष 2022; फैसला 23.07.2025 को आया) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया गया है।**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इसे देखते हुए, दखल देने का कोई आधार नहीं है; मौजूदा अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अपील **खारिज** की जाती है।

10. यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निस्तारण कर दिया गया है।

11. रजिस्ट्रार (अनुपालन) ज़रूरी जानकारी के लिए इस आदेश की सूचना एक हफ्ते के अंदर संबंधित विचारण न्यायालय को देंगे।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

16 जून, 2026

एम. आरिफ